

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 28-12-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,62,64,150/- (एक करोड़ बासठ लाख चौसठ हजार एक सौ पच्चास रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-03(7)ब दिनांक-07.06.18 एवं 44(7)ब दिनांक-5.10.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,62,64,150/- (एक करोड़ बासठ लाख चौसठ हजार एक सौ पच्चास रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ इस राशि में से संगत जिले यथा नालन्दा, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, सुपौल मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, बाँका, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा एवं शिवहर के जिला वेक्टर बार्न डिजिज पदाधिकारियों का वेतन भुगतान करने हेतु उप आवंटन संगत जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को करें।

6. उप आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संगत जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राशि की निकासी कर जिला वेक्टर बार्न डिजिज पदाधिकारियों का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

②

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।
10. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,




(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 72 (7) ए

पटना, दिनांक : 28-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित


सरकार के विशेष सचिव

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विहार स्थित अधीक्षण उपरीषद अन्तर्गत क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय के लिए वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	शिक्षिता भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	शिथि प्रभार	वर्दी / पोषाक	क्रियाया महसूल एवं कर	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पटना	740000	74000	133200	10000	1000	3700	961900	0	20000	25000	30000	2000	100000	1138900	1009/
2	गया	3500000	350000	175000	0	1000	17500	4043500	30000	0	15000	0	0	0	4088500	721/13.10.18
3	पूर्णियाँ	1200000	120000	180000	0	1000	6000	1507000	0	0	0	0	0	0	1507000	379/24.10.18
4	मुंगेर	850000	85000	153000	0	1000	4250	1093250	0	0	0	0	0	0	1093250	215/25.10.18
5	सारण (छपरा)	2000000	100000	360000	0	1000	10000	2471000	40000	0	0	0	0	0	2511000	285/25.10.18
6	तिरहुत(मुजफ्फरपुर)	1200000	120000	216000	0	1000	6000	1543000	0	0	0	0	0	0	1543000	565/1.11.18
7	कोशी (सहरसा)	1500000	75000	270000	0	1000	7500	1853500	0	0	0	0	0	0	1853500	214/26.10.18
8	भागलपुर	1100000	198000	187000	0	1000	14000	1500000	0	0	0	0	0	0	1500000	458/17.11.18
9	दरभंगा	800000	80000	144000	0	1000	4000	1029000	0	0	0	0	0	0	1029000	450/
	कुल	12890000	1202000	1818200	10000	9000	72950	16002150	70000	20000	40000	30000	2000	100000	16264150	

(एक करोड़ बासठ लाख चौसठ हजार एक सौ पच्चास) रु० मात्र

72 (7) ई

28-12-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	89009000	75700000	128900000	885900000	419000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	8901000	7570000	1202000	8772000	129000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	15556000	13626000	18182000	15444200	111800
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	94000	20000	10000	30000	64000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	240000	227100	9000	236100	3900
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	500000	378500	72950	451450	48550
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.06.001.0001.01 वेतन	114800000	97521600	16002150	113523750	1276250
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	450000	0	0	0	450000
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	850000	315000	70000	385000	465000
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	1000000	460000	20000	480000	520000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	1275000	560000	40000	600000	675000
12	दूरभाष (0001-13-03)	350000	190000	0	190000	160000
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	4100000	3260000	0	3260000	840000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	900000	132000	30000	162000	738000
15	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	100000	45000	2000	47000	53000
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	495000	300155	100000	400155	94845
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	1125000	0	0	0	1125000
18	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	450000	225000	0	225000	225000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	125896000	103008755	16264150	119272905	6623095

72 (7) ख

28-12-18

सरकार के विशेष सचिव

(5)

(5)